IN THE COURT OF A.D.J. IIIrd , JAMUI

S.T 148/2021

Arising out of P.S. Case No. Malaypur 53/20 GR No. 2683A/2020

---

1. Sanjiv Kumar S/o Durga Mandal

Resident of Village- Sagdaha, P.S.- Khaira and Dist.-Jamui

---------- Petitioner.

Versus

The State of Bihar

---------- Respondent.

S. No.	Date	Order	Remarks
1.	27-08-2021	कारादीन आवेदक/अभियुक्त संजीव कुमार की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है तथा आवेदक दिनांक 22.02.21 को आत्म समर्पण सह जमानत आवेदन दाखिल किया था तथा जमानत आवेदन संचालित नहीं होने पर आवेदक को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया तथा आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा आवेदक पर लगाए गए आरोप मनगढ़त, झूठे एवं बनावटी है तथा आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है तथा आवेदक दिनांक 22.02.21 से काराधीन है तथा आवेदक श्रीमान के आदेशानुसार बंध–पत्र दाखिल करने के लिए तैयार हैं। अतः प्रार्थना है कि आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। उभयपक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वाद में आवेदक के विरुद्ध आरोपित धारा 392 एवं 412 भा0द0वि0 है तथा प्राथमिकी तीन अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है तथा प्राथमिकी में सूचक का कथन है कि दिनांक 09.09.20 को बनौली गांव के पास अज्ञात बाइक सवार तीन अपराधी पिस्टल सटाकर मारपीट किए तथा उसका 18,700 रूपया, टैब, रजिस्टर एवं मोबाईल छीन लिए तथा केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सह अभियुक्त राजेश कुमार मंडल के अपराध स्वीकारोक्ति बयान में आवेदक का नाम आया है तथा आवेदक के पास से पुलिस ने कोई भी समान बरामद नहीं किया है तथा आवेदक का शिनाख्त परेड पुलिस ने सूचक से नहीं कराया है तथा कंडिका 56 में अन्य सह अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास अंकित है परंतु आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास केस डायरी में अंकित नहीं है तथा कंडिका 87 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्ता ने आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित कर दिया है तथा इस वाद में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा न्यायालय में आवेदक के विरुद्ध आरोप गठन किया जा चुका है, इसलिए इस वाद में अब साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है तथा आवेदक दिनांक 22.02.21 से काराधीन है। आवेदक/अभियुक्त संजीव कुमार को दस हजार रूपया के दो प्रतिभू सहित बंध–पत्र दाखिल करने पर इस शर्त पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि एक प्रतिभू आवेदक का निकट संबंधी होगा तथा आवेदक इस वाद में लगातार प्रत्येक तिथि पर सदेह उपस्थित रहेगा तथा लगातार दो तिथियों पर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अनुपस्थित रहने पर उसका बंध पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। लेखापित -sd- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई।	

	<u>पश्चात्</u>	उपरोक्त आदेश के आलोक में आवेदक/अभियुक्त संजीव कुमार की ओर से बंध–पत्र दाखिल किया गया, जिसे जांचोपरान्त सही पाकर स्वीकृत किया गया। लेखापित -sd- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय जमुई।	

web copy